रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 -Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 1979/वैशाख 18, 1901
No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 1979/VAISAKHA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 1979

का. आ. 261(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है—

आदेश

संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति,

मिजोरम संघ-राज्य क्षेत्र के संबंध में उक्त धारा 51 के अधीन किए गए अपने 11 नवम्बर, 1978 के आदेश को विखण्डित करता हूं ।

नीलम संजीव रेड्डी,
भारत का राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
8 मई, 1979

[सं. यू-11012/3/79-यू.टी.एल.]

सुबोध चन्द्र देव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFIICATION

New Delhi, the 8th May, 1979

S.O. 261(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 51 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), I, Neelam Sanjiva Reedy, President of India, hereby rescind the Order made by me under the said section 51 on the 11th November, 1978, in relation to the Union territory of Mizoram.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

New Delhi,
the 8th May, 1979

[No. U-11012/3/79-UTL]
S. C. DEV, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979